

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 जनवरी, 2014 ई0 माघ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन


विघायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 35/XXXVI(3)/2014/01(1)/2014 देहरादून, 27 जनवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामिहम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014" पर दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।



उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-02 वर्ष 2014)

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1945) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:--

. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.

2.

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

- उत्तर प्रदेश सड़कं पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम,1945(अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1945) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), की धारा 3 की उपधारा (1) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-
- "(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी सड़क की लम्बाई अथवा सम्पूर्ण सड़क को अनुसूचित सड़क घोषित कर सकेगी और सड़क भूमि के किनारे से जैसा विहित किया जाये, पांच मीटर की किसी क्षैतिज दूरी तक की ऐसी अनुसूचित सड़क नियंत्रित क्षेत्र होगी।"

आज्ञा से

के0डी0 भट्ट, प्रमुख सचिव।

विद्यान राजा द्वारा पारित "उत्तरप्रदाण्य सम्बन्ध पार्थ स्ति नियंत्रण (संशोधन) विषेत्रक, 2014"

पर विनास 27 जनवरी, 2014 को आगति प्रदान की और वह उत्ताराखण्ड का जिल्लिया

राष्ट्रक 02 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-माधारण को सुद्यमांथ इस अधिस्ताना द्वारा प्रकाशित

No. 35/XXXVI(3)/2014/01(1)/2014 Dated Dehradun, January 27, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Roadside Land Control (Amendment) Act, 2014' (Adhiniyam Sankhya 02 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27 January, 2014.

The Uttarakhand Roadside Land Control (Amendment) Act, 2014 (Uttarakhand Act No. 02 of 2014)

AN

further to amend the Uttar Pradesh Roadside Land Control Act, 1945 (Act No. 10 of 1945) (as the applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and Commencement

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Roadside Land Control (Amendment) Act, 2014.
 - (2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

- 2. In place of sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Roadside Land Control Act, 1945 (Act No. 10 of 1945) (as applicable to the State of Uttarakhand), the following subsection shall be substituted namely:--
 - "(1) The Government may, by notification, in the official Gazette declare any length or the whole of any road to be a "schedule road" and the area upto a horizontal distance of five meters as prescribed from the edge of the road-land on either of such scheduled road to be a "controlled area."

By Order,

K.D. BHATT, Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०४ विघायी / 122-2014-100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।